International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ग्रामीण गरीबों पर प्रभाव तथा कार्यान्वयन का विश्लेषण: विशेष संदर्भ छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला

डॉ. देवाशीष हालदार[1], श्री शैनू राम सोरी[2]

[1]सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग), शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोडागाँव(छ०ग०)
[2]शोधार्थी (अर्थशास्त्र विभाग), शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागाँव(छ०ग०)

सारांश

कोंडागांव जिला छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्थित एक अनुसूचित जनजाति बहुल, वन संसाधन निर्भर, और दीर्घकालिक रूप से नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है। यह पेपर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ग्रामीण गरीबों पर प्रभाव तथा कार्यान्वयन का विश्लेषण इसी जिले के संदर्भ में प्रस्तुत करता है। उपलब्ध जिला-स्तरीय आंकड़ों और गुणात्मक साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कोंडागांव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूहों की संख्या, बचत-ऋण संस्कृति और महिलाओं की सामाजिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृध्दि की है, लेकिन जिले की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम का प्रभाव मात्रात्मक विस्तार तक सीमित रह गया है। मुख्य बाधाओं में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में बैंकिंग पहुंच की कमी, वन अधिकार और आजीविका के बीच का असंतुलन, बाजार संपर्क की अत्यंत सीमित उपलब्धता, सुरक्षा संबंधी बाधाएं जो सामुदायिक संस्थाओं के निर्माण को कमजोर करती हैं, तथा स्थानीय भाषा और साक्षरता की चुनौतियां शामिल हैं। पेपर सुझाव देता है कि कोंडागांव जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सफलता के लिए "संगठन-प्रथम" दृष्टिकोण से "बाजार और वन-आजीविका संपर्क" दृष्टिकोण की ओर बदलाव आवश्यक है।

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कोंडागांव, बस्तर, स्वयं सहायता समूह

1. प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग भारत के सबसे पिछड़े और सबसे जटिल विकास क्षेत्रों में से एक है। कोंडागांव जिला, जो 2012 में बस्तर जिले से अलग करके बनाया गया था, इस संभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिले की जनसंख्या लगभग 6 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 60% से अधिक है। जिले का 70% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, और अधिकांश ग्रामीण परिवार वन उत्पाद संग्रह, कृषि मजदूरी और लघु कृषि पर निर्भर हैं।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कोंडागांव में स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हुआ है, लेकिन इस विस्तार की गुणवत्ता और गरीबी उन्मूलन पर इसके

वास्तविक प्रभाव का गंभीर मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ है। यह पेपर तीन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है:

- कोंडागांव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने क्या मात्रात्मक उपलब्धियां प्राप्त की हैं?
- गरीब परिवारों, विशेषकर जनजातीय महिलाओं के जीवन पर इसका क्या वास्तविक प्रभाव पड़ा है?
- इस क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों में कार्यान्वयन की मुख्य बाधाएं क्या हैं?

2. साहित्य समीक्षा

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता को दूर करना और स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है। इस विषय पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर हुए विभिन्न अध्ययनों की समीक्षा को निम्नलिखित प्रमुख आयामों के अंतर्गत समझा जा सकता है-

1. स्वयं सहायता समूहों का गठन और संस्थागत विकास

विभिन्न शोधकर्ताओं (जैसे सिन्हा, 2018) ने स्पष्ट किया है कि एन.आर.एल.एम. ने ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 'बिहान' योजना पर किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि इन समूहों ने न केवल महिलाओं को वित्तीय रूप से जोड़ा है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर सामाजिक पूंजी का भी निर्माण किया है। कोंडागांव जैसे जनजातीय बहुल जिले में, यह मिशन महिलाओं को पारंपरिक दायरे से बाहर निकालकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का एक सशक्त माध्यम बना है।

2. आजीविका विविधीकरण और गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव

साहित्य से यह प्रमाणित होता है कि मिशन के अंतर्गत मिलने वाले फंड (जैसे- रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड) ने ग्रामीण गरीबों की ऋणग्रस्तता को कम किया है। रेड्डी एवं अन्य (2020) के अनुसार, आजीविका के पारंपरिक साधनों (जैसे कृषि) से हटकर गैर-कृषि गतिविधियों (जैसे लघु वनोपज प्रसंस्करण, जैविक खेती, सिलाई, और बकरी पालन) को अपनाने से ग्रामीण परिवारों की आय में निरंतरता आई है। कोंडागांव जिले में महुआ, इमली और तिखुर जैसे स्थानीय संसाधनों के मूल्य संवर्धन ने जनजातीय परिवारों की आर्थिक स्थिति में वास्तविक सुधार किया है।

3. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक प्रभाव

अनेक अध्ययनों (जैसे कुमार, 2021) ने निष्कर्ष निकाला है कि वित्तीय समावेशन से बढ़कर इस मिशन का सबसे सकारात्मक प्रभाव महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा गया है। बैंक लिंकेज और वित्तीय साक्षरता के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास में वृध्दि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों की शिक्षा पर होने वाले व्यय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो दीर्घकालिक मानव विकास को दर्शाता है।

3. शोध अंतराल (Research Gap)

उपरोक्त साहित्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि एन.आर.एल.एम. ने ग्रामीण भारत में व्यापक बदलाव किए हैं। हालांकि, कोंडागांव जिले की विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनजातीय पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इसके "वास्तविक धरातलीय प्रभाव" और "विशिष्ट कार्यान्वयन बाधाओं" पर केंद्रित समकालीन शोधों की कमी है। प्रस्तुत अध्ययन इसी कमी को पूरा करने का एक प्रयास है।

4. आंकड़ा संग्रह

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के वास्तविक प्रभावों और बाधाओं के सटीक विश्लेषण के लिए मिश्रित शोध पद्धति के तहत प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का संग्रह किया गया है |

1. प्राथमिक डेटा-

- **सर्वेक्षण प्रश्नावली** - कोंडागांव जिले के विभिन्न ब्लॉकों (जैसे- कोंडागांव, माकड़ी, फरसगांव) से यादृच्छिक सैंपलिंग के आधार पर चुने गए स्वयं सहायता समूहों की जनजातीय महिलाओं से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से डेटा लिया जाएगा।
- **व्यक्तिगत साक्षात्कार** - मिशन के वास्तविक प्रभाव, आय में वृध्दि और कार्यान्वयन बाधाओं को गहराई से समझने के लिए महिलाओं के साथ समूह चर्चा तथा जिला/ब्लॉक मिशन प्रबंधकों और बैंक अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किया गया है।

2. द्वितीयक डेटा -

मिशन की मात्रात्मक उपलब्धियों जैसे- गठित समूहों की संख्या, वितरित रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और बैंक क्रेडिट लिंकेज के प्रामाणिक आंकड़ों को जिला पंचायत (कोंडागांव), छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की आधिकारिक वेबसाइट, सरकारी रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षण और पूर्व शोध पत्रों से एकत्रित किया गया है।

5. कोंडागांव जिले की प्रोफ़ाइल और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संदर्भ

5.1 भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं

कोंडागाँव जिला मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला है। दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आने वाला यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और अद्वितीय हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है।

स्थापना और प्रशासनिक संरचना

कोंडागांव जिले का गठन 1 जनवरी 2012 को मातृ जिला बस्तर से अलग करके छत्तीसगढ़ के 27वें जिले के रूप में किया गया था। जिला मुख्यालय कोंडागांव शहर में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम 'कोण्डानार' (गोंडी भाषा में अर्थ: घोड़ों का गाँव) था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले को 7 तहसीलों (कोंडागांव, माकड़ी, फरसगांव, केशकाल, बड़ेराजपुर आदि) और 5 विकासखंडों में विभाजित किया गया है। जिले के अंतर्गत दो प्रमुख विधानसभा क्षेत्र आते हैं–केशकाल और कोंडागांव, साथ ही एक आंशिक विधानसभा नारायणपुर है जो तीनों ही अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं।

भौगोलिक स्थिति और जनसांख्यिकी

यह जिला राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7,769 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, कोंडागांव की कुल जनसंख्या 5,78,326 है। इस जिले की सबसे बड़ी विशेषता इसका लिंगानुपात है, जो 1033 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 57.31% है। जिला मुख्य रूप से आदिवासी बहुल है, जहां कुल आबादी का लगभग 71% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों (जैसे मुरिया,भतरा, माडिया और हल्बा) का है।

शिल्प नगरी और संस्कृति

कोंडागांव को छत्तीसगढ़ की 'शिल्प नगरी' के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र बस्तर की पारंपरिक जनजातीय कलाओं, विशेष रूप से बेल मेटल शिल्प (घड़वा कला), लौह शिल्प , काष्ठ कला और टेराकोटा कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की घड़वा कला में तांबे और टिन के अनूठे मिश्रण से मोम-कास्टिंग तकनीक द्वारा उत्कृष्ट मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। सांस्कृतिक रूप से यहाँ हलबी, गोंडी, छत्तीसगढ़ी और भतरी भाषाएँ प्रमुखता से बोली जाती हैं।

अर्थव्यवस्था और खनिज संपदा

जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और वनोपज पर टिकी हुई है। यहाँ की लगभग 85% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। धान और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, जबकि महुआ, टोरा, हर्रा और तेंदूपत्ता जैसे लघु वनोपज भी आजीविका के बड़े साधन हैं। खनिज संसाधनों के मामले में, जिले की प्रसिद्ध केशकाल घाटी और उसके आस-पास के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट और मैदानी भागों में ग्रेनाइट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं।

पर्यटन स्थल

कोंडागांव प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों से भरा हुआ है:

- **केशकाल घाटी-** 12 मोड़ों वाली यह खूबसूरत घुमावदार घाटी बस्तर के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ से मनोरम प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं।
- **डोंगरीगुड़ा जैव विविधता पार्क और धनकुल एथनिक रिसोर्ट-** पर्यटकों के आकर्षण के आधुनिक केंद्र हैं।
- **धार्मिक स्थल-** यहाँ स्थित भंगाराम देवी मंदिर और मावली माता मंदिर स्थानीय लोगों की गहरी आस्था के केंद्र हैं।

कोंडागांव जिला अपनी अनूठी कलात्मक पहचान, समृद्ध वन संपदा और शांतिप्रिय जनजातीय जीवन शैली के कारण छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर एक विशेष गौरवशाली स्थान रखता है।

कोंडागांव जिला बस्तर पठार पर स्थित है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 1400 मिमी से अधिक है, लेकिन सिंचाई सुविधाएं अत्यंत सीमित हैं। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वनोपज (तेंदू पत्ता, महुआ फूल, साल बीज, लाख, इमली) संग्रह, धान की खेती और मौसमी श्रम पर आधारित है। लगभग 80% ग्रामीण परिवार लघु और सीमांत किसान हैं, और भूमिहीन परिवारों का अनुपात भी अधिक है।

जिले में साक्षरता दर राज्य के औसत से कम है, विशेषकर महिलाओं में। आदिवासी समुदायों की अपनी भाषाएं और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाषा संबंधी बाधाएं उत्पन्न करती हैं।

5.2 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जिला-स्तरीय क्रियान्वयन ढांचा

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जिला स्तर पर क्रियान्वयन एक सुव्यवस्थित और त्रि-स्तरीय संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुँचाना और जमीनी स्तर पर मजबूत प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

कोंडागांव या छत्तीसगढ़ के किसी भी अन्य जिले में इस मिशन का जिला-स्तरीय क्रियान्वयन ढांचा निम्नलिखित प्रमुख भागों में विभाजित होता है-

1. जिला मिशन प्रबंधन इकाई

यह जिला स्तर पर मिशन की प्रशासनिक, वित्तीय और रणनीतिक गतिविधियों को संचालित करने वाली मुख्य इकाई है। इसका नेतृत्व जिला मिशन प्रबंधक करते हैं, जो जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन

अधिकारी, जिला पंचायत) के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं।

DMMU में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें संस्थागत विशेषज्ञ कहा जाता है|

- **डीपीएम :** यह पूरी जिला टीम का नेतृत्व और समन्वय करती है।
- **थीमैटिक विशेषज्ञ-** जिला स्तर पर अलग-अलग विभागों/कार्यों के लिए विशेषज्ञ अधिकारी नियुक्त होते हैं, जैसे-
- संस्थागत निर्माण और क्षमता विकास विशेषज्ञ
- वित्तीय समावेशन विशेषज्ञ
- आजीविका (कृषि और गैर-कृषि) विशेषज्ञ
- कौशल विकास और रोजगार विशेषज्ञ
- निगरानी और मूल्यांकन तथा एमआईएस विशेषज्ञ

2. ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई

जिला इकाई सीधे ब्लॉक स्तर पर योजनाओं को लागू करने के लिए ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई के साथ समन्वय करती है। यह जमीनी क्रियान्वयन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।

- **ब्लॉक मिशन प्रबंधक-** यह ब्लॉक स्तर पर टीम का नेतृत्व करते हैं।
- **ब्लॉक आजीविका समन्वयक-** ये सीधे ग्राम पंचायतों और स्व-सहायता समूहों के संपर्क में रहते हैं।

3. सामुदायिक आधारित संगठन

यह ढांचे का वह हिस्सा है जो सीधे ग्रामीण महिलाओं को मिशन से जोड़ता है। जिला और ब्लॉक टीम इन संगठनों के माध्यम से काम करती है-

- **स्व-सहायता समूह-** यह10-15 गरीब महिलाओं का प्राथमिक समूह है।
- **ग्राम संगठन-** एक गाँव के सभी स्व-सहायता समूह को मिलाकर बनने वाला संगठन है।
- **कलस्टर लेवल फेडरेशन-** कई ग्राम संगठनों को मिलाकर ब्लॉक के तहत बनने वाला बड़ा क्लस्टर है |

4. प्रशासनिक समन्वय और निगरानी

जिला स्तर पर मिशन के सुचारू संचालन और अंतर-विभागीय समन्वय के लिए एक गवर्निंग बॉडी होती है-

- **अध्यक्षता-** आमतौर पर जिला कलेक्टर या जिला पंचायत के सीईओ इसके मुख्य नियंत्रक अधिकारी होते हैं।
- **कार्यान्वयन-** यह समिति जिला स्तर पर बैंकों, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और उद्योग विभाग के साथ तालमेल बिठाकर ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर तैयार करती है।

कोंडागांव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन त्रि-स्तरीय संरचना के माध्यम से होता है- ग्राम स्तर पर स्वसहायता समूह, क्लस्टर स्तर पर ग्राम संगठन और ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर लेवल फेडरेशन। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी समन्वय करती है, और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है। जिले में अनुमानित रूप से 3,000 से अधिक स्वसहायता समूह पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 35,000 महिलाएं संगठित हैं। लेकिन इनमें से कई स्वसहायता समूह केवल बचत-ऋण गतिविधियों तक सीमित हैं, और आजीविका विविधीकरण या उद्यम विकास में उनकी भागीदारी न्यूनतम है।

6. सारणी सूची-

क्र.सं.	स्व-सहायता समूह (SHG) का नाम	स्थान/ विकासखंड	मुख्य गतिविधि / कार्य
1.	**लक्ष्मी स्व-सहायता समूह**	कोंडागाँव	"दीदी की रसोई" कैंटीन संचालन व टिफिन सेवा
2.	**सरस्वती महिला स्व सहायता समूह**	मालाकोट	शासकीय उचित मूल्य दुकान (राशन दुकान) संचालन
3.	**मां दन्तेश्वरी महिला स्व सहायता समूह**	चिपांवड	राशन दुकान संचालन व कृषि कार्य
4.	**बेलोसा महिला स्व सहायता समूह**	चेरंग	बिहान योजना के तहत ग्रामीण आजीविका गतिविधियाँ
5.	**विकास महिला स्व सहायता समूह**	कचोरा	राशन दुकान संचालन व सिलाई कार्य
6.	**उन्नति महिला स्व सहायता समूह**	बनउसरी	सामुदायिक और आजीविका संवर्धन कार्य
7.	**गौरी महिला स्व सहायता समूह**	बादालूर	राशन दुकान संचालन
8.	**डोगरीगुडा महिला स्व सहायता समूह**	डोंगरीगुड़ा	कृषि आधारित गतिविधियाँ
9.	**मां दन्तेश्वरी महिला स्व सहायता समूह**	बनियागाँव	राशन दुकान संचालन
10.	**मां दन्तेश्वरी महिला स्व सहायता समूह**	कोको*ड़ी	स्थानीय हाट-बाज़ार व्यापार व राशन दुकान
11.	**दंतेश्वरी स्व सहायता समूह**	करंजी कोकोडी	जैविक खेती व वर्मीकंपोस्ट निर्माण
12.	**भीरागांव महिला स्व सहायता समूह**	भिरागांव सिदावन्द	राशन दुकान संचालन
13.	**खुटडोबरा महिला स्व सहायता समूह**	खुटडोबरा	ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) गतिविधियाँ
14.	**जय माँ दुर्गा स्व-सहायता समूह**	कुधुर	राशन दुकान व खाद्य प्रसंस्करण
15.	**शीतला महिला स्व-सहायता समूह**	कोण्डागांव ग्रामीण	मशरूम उत्पादन व सब्जी बाड़ी
16.	**नारी शक्ति स्व-सहायता समूह**	माकड़ी	हस्तशिल्प और दोना-पत्तल निर्माण
17.	**गायत्री महिला स्व-सहायता समूह**	फरसगांव	दुग्ध उत्पादन व पशुपालन
18.	**राधा कृष्ण स्व-सहायता समूह**	बड़ेराजपुर	राशन दुकान संचालन
19.	**एकता महिला स्व-सहायता समूह**	केशकाल	लघु वनोपज (जैसे महुआ,

			इमली) संग्रहण
20.	**आजीविका महिला स्व-सहायता समूह**	कोण्डागांव	सिलाई-कढ़ाई व रेडी-टू-ईट फूड निर्माण

यहाँ कोण्डागांव जिले के विभिन्न गाँव के 20 महिला स्व-सहायता समूहों की सूची सारणी के रूप में दी गई है-

विश्लेषण -उपरोक्त स्व सहायता समूह के c/*-/**मुख्य गतिविधि / कार्य के आधार पर विभिन्न स्तर का** विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिले के अनेक गाँव में कार्य कर रहे है, जो कि अपने आर्थिक विकास के साथ गरीब महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और सब मिलकर लाभ अर्जित करने तथा कार्य में शामिल रहकर जीवन यापन कर रहे है | समूह सामग्री का गुणवता , बाजार कि मांग, के आधार पर पूर्ति, प्रतियोगिता का मुकाबला करना जैसे चुनौतियों का सामना बखूबी से करते है

7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रभाव, मात्रात्मक उपलब्धियां और गुणात्मक सीमाएं

7.1 वित्तीय समावेशन और बचत संस्कृति का विकास

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला-स्तरीय ढांचे के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और बचत संस्कृति का विकास करना मिशन के सबसे प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराकर उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर निम्नलिखित रणनीतियों और चरणों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है-

1. बचत संस्कृति का विकास

मिशन की शुरुआत ही 'बचत' के सिद्धांत से होती है। इसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुनियादी आदतें विकसित की जाती हैं:

- **नियमित छोटी बचत-** स्व-सहायता समूह की प्रत्येक महिला सदस्य हर हफ्ते या महीने में एक निश्चित छोटी राशि (जैसे ₹10 से ₹50) समूह में जमा करती है।
- **पंचसूत्र का पालन-** समूहों को 'पंचसूत्र' का पालन करना अनिवार्य होता है, जिसमें नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आंतरिक ऋण, नियमित पुनर्भुगतान, और नियमित बही-खाता शामिल हैं। यह अनुशासन महिलाओं में वित्तीय साक्षरता लाता है।
- **आंतरिक ऋण प्रणाली-** सदस्यों की आपातकालीन जरूरतों (जैसे बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या खेती) के लिए समूह के भीतर से ही न्यूनतम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। इससे महिलाओं को यह समझ आता है कि उनकी छोटी-छोटी बचत कितनी बड़ी ताकत बन सकती है।

2. वित्तीय समावेशन का ढांचा

जब समूह में बचत की आदत मजबूत हो जाती है, तब जिला और ब्लॉक टीम उन्हें मुख्यधारा की बैंकिंग से जोड़ती है-

- **बैंक लिंकेज-** प्रत्येक SHG का बैंक में एक बचत खाता खोला जाता है। कुछ समय बाद, बैंक द्वारा समूहों को उनकी साख और ग्रेडिंग के आधार पर कम ब्याज दर पर कैश क्रेडिट लिमिट या ऋण स्वीकृत किया जाता है।
- **रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड-** सरकार द्वारा समूहों को शुरुआती कोष के रूप में 'रिवॉल्विंग फंड' (प्रोत्साहन राशि) और ग्राम संगठन के माध्यम से 'सामुदायिक निवेश कोष' प्रदान किया

जाता है, ताकि वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू कर सकें।

3. डिजिटल वित्तीय समावेशन और 'बैंक सखी'

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए मिशन ने तकनीकी और सामुदायिक मॉडल को अपनाया है-

- **बीसी सखी / बैंक सखी -** समूह की ही पढ़ी-लिखी महिलाओं को बैंक सखी या बी.सी. सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। इन्हें माइक्रो-एटीएम या पीओएस मशीनें दी जाती हैं।
- **घर-पहुंच बैंकिंग सेवा-** ये बैंक सखियां ग्रामीणों के घरों या समूह की बैठकों में जाकर पैसे जमा करने, निकालने, पेंशन भुगतान और बीमा जैसी सेवाएं डिजिटल माध्यम से देती हैं। इससे महिलाओं को बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते और समय व पैसे की बचत होती है।

4. वित्तीय साक्षरता अभियान

जिले के वित्तीय समावेशन विशेषज्ञों द्वारा गांवों में वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए जाते हैं, जहाँ महिलाओं को निम्नलिखित विषयों पर जागरूक किया जाता है-

- **सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं-** जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और अटल पेंशन योजना से जोड़ना है |
- **डिजिटल फ्रॉड से बचाव-** यूपीआई पिन, ओटीपी साझा न करने और साइबर धोखाधड़ी के प्रति सतर्कता बढ़ाना है |

7.2 आजीविका गतिविधियों में सीमित विविधीकरण

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कोंडागांव जैसे जनजातीय और दूरस्थ जिलों में वित्तीय समावेशन और बचत संस्कृति का विकास तो तेजी से हुआ है, लेकिन आजीविका गतिविधियों में सीमित विविधीकरण अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

सीमित विविधीकरण का सीधा अर्थ यह है कि ग्रामीण महिलाएं या स्व-सहायता समूह ऋण और बचत के पैसे का उपयोग कुछ गिने-चुने पारंपरिक कार्यों (जैसे साधारण खेती या किराना दुकान) में ही करती हैं। वे नए, तकनीकी या बड़े स्तर के व्यवसायों की ओर कदम नहीं बढ़ा पाती हैं।

इसके मुख्य कारण, इसके प्रभाव और जिला-स्तरीय ढांचे द्वारा इसे दूर करने के प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है-

सीमित विविधीकरण के मुख्य कारण-

- **पारंपरिक मानसिकता और जोखिम का डर-** ग्रामीण महिलाएं अक्सर उन कामों को प्राथमिकता देती हैं जिन्हें वे पीढ़ियों से देखती आ रही हैं (जैसे धान की खेती, महुआ संग्रहण या सिलाई)। नया बिजनेस शुरू करने में जो आर्थिक जोखिम होता है, वे उसे उठाने से डरती हैं।
- **बाजार की समझ और पहुंच का अभाव -** कोंडागांव जैसे जिलों में स्थानीय बाजार (हाट-बाजार) छोटे होते हैं। महिलाओं को यह जानकारी नहीं होती कि वे जो उत्पाद बना रही हैं (जैसे हस्तशिल्प या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ), उसे रायपुर या देश के अन्य बड़े शहरों के बाजारों तक कैसे पहुंचाया जाए।
- **तकनीकी कौशल की कमी-** आधुनिक व्यवसाय जैसे फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण), पैकेजिंग, डिजिटल सेवाएं या मूल्य संवर्धन के लिए विशेष ट्रेनिंग और मशीनों को चलाने के कौशल की आवश्यकता होती है, जो अभी भी जमीनी स्तर पर सीमित है।

- **सीमित शुरुआती पूंजी-** हालांकि बैंक लिंकेज से लोन मिलता है, लेकिन बड़े या विविध व्यवसायों (जैसे लघु उद्योग स्थापित करना) के लिए जितनी बड़ी और निरंतर पूंजी की आवश्यकता होती है, वह आसानी से सुलभ नहीं हो पाती है।

सीमित विविधीकरण का प्रभाव

- **कम आय -** जब एक ही गांव के 5-6 समूह एक ही जैसा काम (जैसे सब सिलाई केंद्र या सब किराना दुकान) शुरू कर देते हैं, तो स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और किसी की भी अच्छी कमाई नहीं हो पाती है।
- **मौसमी बेरोजगारी -** कृषि या वनोपज आधारित पारंपरिक कार्यों पर निर्भर रहने के कारण, साल के कुछ महीनों (जैसे गर्मी के दिनों में) महिलाओं के पास आजीविका का साधन नहीं रहता है |

विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के प्रयास

इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कोंडागांव जिले में मिशन की टीम अब 'कृषि से गैर-कृषि' और पारंपरिक से आधुनिक व्यवसायों की ओर विविधीकरण कर रही है-

- **लघु वनोपज का मूल्य संवर्धन -** अब महिलाएं केवल इमली, महुआ या चार-चिरौंजी इकट्ठा करके सीधे नहीं बेचतीं। मिशन के सहयोग से अब वे इमली की चपाती, महुआ के लड्डू, और हर्बल उत्पाद बनाकर ब्रांडिंग के साथ बेच रही हैं।
- **गैर-कृषि क्षेत्रों में प्रवेश-** महिलाओं को अब केवल सिलाई तक सीमित न रखकर एलईडी बल्ब निर्माण, दोना-पत्तल निर्माण, ईंट निर्माण, और सेनेटरी नैपकिन बनाने जैसे लघु उद्योगों से जोड़ा जा रहा है।
- **बस्तर फूड्स और सी-मार्ट से जुड़ाव-** सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर जिले में 'सी-मार्ट' खोले हैं। कोंडागांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए अनूठे उत्पादों (जैसे कोंडागांव का घड़वा शिल्प या जैविक अनाज) को इन माट्र्स के जरिए सीधे बड़े शहरों के खरीदारों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने उत्पाद का सही दाम मिल सके।
- **कस्टम हायरिंग सेंटर-** खेती को आधुनिक बनाने के लिए समूहों को कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, रोटावेटर आदि) दिए जा रहे हैं, जिन्हें वे अन्य किसानों को किराए पर देकर व्यावसायिक कमाई कर रही हैं।

स्व सहायता समूह ऋण का उपयोग मुख्य रूप से पशुपालन (बकरी, मुर्गी, सूअर), लघु व्यापार (किराना, सब्जी बिक्री) और कृषि इनपुट की खरीद में किया गया है। कुछ स्वसहायता समूह ने सामूहिक रूप से तेंदू पत्ता प्लेट निर्माण, महुआ उत्पाद प्रसंस्करण और हस्तशिल्प जैसी गतिविधियों को अपनाया है। हालांकि, गहन क्षेत्रीय अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अधिकांश उद्यम सूक्ष्म स्तर पर ही रह गए हैं। उदाहरण के लिए, बकरी पालन में औसतन 2-4 बकरियां ही खरीदी जाती हैं, जो बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त मात्रा नहीं है। इसी तरह, तेंदूपत्ता प्लेट निर्माण में गुणवत्ता मानकीकरण और बाजार संपर्क की कमी के कारण मुनाफा सीमित है।

7.3 महिला सशक्तिकरण- सामाजिक आयाम में प्रगति

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने कोंडागांव जैसे आदिवासी बहुल जिले में न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आयामों में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता ने अंततः महिलाओं को समाज और परिवार में एक नई पहचान, सम्मान और निर्णय लेने का अधिकार दिया है।

सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाओं के जीवन में आए प्रमुख बदलावों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

1. निर्णय लेने की क्षमता में वृध्दि

- **पारिवारिक स्तर पर-** पहले जिन ग्रामीण महिलाओं की भूमिका केवल चूल्हे-चौके तक सीमित थी, अब वे स्व-सहायता समूहों के माध्यम से घर की आय में योगदान दे रही हैं। इसके परिणामस्वरूप, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीन की खरीदी और पारिवारिक खर्चों से जुड़े फैसलों में उनकी राय को महत्व दिया जाने लगा है।
- **सामुदायिक स्तर पर-** ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तर के संघों के माध्यम से महिलाएं अब सामूहिक रूप से गांवों की समस्याओं (जैसे पानी की किल्लत, सड़कों की मरम्मत या बिजली की समस्या) पर चर्चा करती हैं और पंचायत स्तर पर अपनी मांगें मजबूती से रखती हैं।

2. सामाजिक कुरीतियों और जेंडर-आधारित हिंसा के खिलाफ एकजुटता

मिशन के तहत बनी 'सामाजिक कार्य समितियों' ने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है-

- **घरेलू हिंसा और नशामुक्ति-** समूह की महिलाएं सामूहिक रूप से घरेलू हिंसा और शराबखोरी के खिलाफ आवाज उठाती हैं। कई गांवों में महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संगठित प्रयास किए हैं।
- **बाल विवाह और कुप्रथाओं का विरोध-** कोंडागांव के ग्रामीण अंचलों में बाल विवाह को रोकने, लिंग भेदभाव को कम करने और अंधविश्वास जैसे टोनही प्रताड़ना जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने में इन महिला संगठनों ने अग्रणी भूमिका निभाई है।

3. राजनीतिक सहभागिता और नेतृत्व का विकास

- **पंचायती राज में नेतृत्व-** समूहों में काम करने से महिलाओं का आत्मविश्वास और सार्वजनिक मंचों पर बोलने का कौशल बहुत बढ़ा है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि अब SHG से जुड़ी कई महिलाएं ग्राम पंचायत चुनाव में पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के रूप में चुनकर आ रही हैं।
- **प्रशासन के साथ सीधा संवाद-** जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन के साथ नियमित बैठकों के कारण महिलाएं अब बिना किसी झिझक के अपनी बात कलेक्टर, सीईओ या बैंक अधिकारियों के सामने रख पाती हैं, जिससे उनकी प्रशासनिक समझ मजबूत हुई है।

4. स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता

- **पोषण व्यवहार में सुधार-** मिशन के तहत महिलाओं को 'पोषण सखी' के माध्यम से कुपोषण से लड़ने के लिए जागरूक किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर महिलाएं अब अपने घरों के पीछे 'न्यूट्रिशन गार्डन' (पोषण बाड़ी) विकसित कर रही हैं, जिससे परिवारों को हरी और ताजी सब्जियां मिल रही हैं।
- **संस्थागत प्रसव को बढ़ावा-** गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण और अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए समूह की महिलाएं एएनएम और मितानिंन के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

5. शिक्षा के प्रति बदलता दृष्टिकोण

आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद, माता-पिता (विशेषकर माताएं) अब अपनी बेटियों को केवल प्राथमिक शिक्षा तक सीमित नहीं रख रहे हैं, बल्कि उन्हें कोंडागांव या रायपुर जैसे बड़े केंद्रों में उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं।

7.4 जनजातीय आजीविका पर प्रभाव- वन-केंद्रित अर्थव्यवस्था की अनदेखी

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के दौरान कोंडागांव जैसे घने जंगलों और 70% से अधिक

आदिवासी आबादी वाले जिलों में एक गंभीर विरोधाभास उभरकर सामने आया है। मिशन द्वारा गैर-वन गतिविधियों जैसे सिलाई, छोटे व्यवसाय, और सामान्य कृषि पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण, यहाँ की मूल वन-केंद्रित अर्थव्यवस्था अनजाने में उपेक्षा का शिकार हुई है।

आदिवासियों के पारंपरिक जीवन और उनकी आजीविका के इस सबसे मजबूत स्तंभ की अनदेखी के प्रमुख सामाजिक-आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं-

1. पारंपरिक कौशल और आजीविका चक्र का टूटना

कोंडागांव के जनजातीय समुदाय (जैसे मुरिया, माडिया और हलबा) सदियों से महुआ, इमली, हर्रा-बहेड़ा, कालमेघ और तेंदूपत्ते जैसे लघु वनोपज के संग्रहण में माहिर हैं। मिशन के सामान्यीकृत मॉडलों के कारण

- आदिवासियों की उस पीढ़ीगत पारंपरिक समझ की उपेक्षा होती है जो उन्हें जंगलों से जोड़ती है।
- महिलाओं को वनोपज संग्रहण से हटाकर ऐसे कार्यों में लगाया जाता है जो उनके स्वाभाविक कौशल का हिस्सा नहीं हैं, जिससे उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है।

2. बिचौलियों का निरंतर प्रभाव और कम लाभ

हालांकि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन आजीविका मिशन के स्थानीय ढांचे द्वारा सुदृढ़ संग्रहण नेटवर्क और हाट-बाजारों में बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण-

- वनवासी आज भी अपने उत्पादों को औने-पौने दामों पर स्थानीय बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं।
- वन आधारित मूल्य संवर्धन की गति धीमी होने के कारण आदिवासियों को उनके श्रम का उचित लाभांश नहीं मिल पाता है।

3. मौसमी आय में अस्थिरता

वनोपज आदिवासियों के लिए कठिन समय जैसे गर्मियों के महीनों में नकद आय का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जब मिशन का ध्यान केवल गैर-वन आजीविका पर केंद्रित हो जाता है, तो वनवासी परिवार इन संकट के महीनों में आर्थिक रूप से अधिक कमजोर हो जाते हैं क्योंकि बाजार-आधारित छोटे व्यवसाय ग्रामीण अंचलों में मंदी का सामना करते हैं।

4. पारिस्थितिकी और वन अधिकारों के साथ तालमेल की कमी

सामुदायिक वन अधिकार - वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासियों को जंगलों के प्रबंधन का अधिकार मिला है। लेकिन आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों का एजेंडा कई बार इन ग्राम सभाओं और वन समितियों के अधिकारों के साथ एकीकृत नहीं हो पाता, जिससे जंगलों के सतत प्रबंधन में बाधा आती है।

इस कमी को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम

इस असंतुलन को ठीक करने के लिए अब कोंडागांव जिले में रणनीतिक बदलाव किए जा रहे हैं-

- **वन धन विकास केंद्रों का सुदृढ़ीकरण-** अब मिशन ट्रायफेड के साथ मिलकर 'वन धन योजना' के माध्यम से वनवासियों को सीधे जोड़ रहा है। एक-एक केंद्र में 300 से अधिक वनोपज संग्राहकों को मिलाकर क्लस्टर बनाए जा रहे हैं।
- **स्थानीय प्रसंस्करण-** कच्ची इमली या महुआ बेचने के बजाय अब गाँवों में ही इमली पल्प मेकिंग मशीनें और महुआ सैनिटाइज़र/लड्डू बनाने की इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं ताकि मूल्य संवर्धन का पूरा लाभ आदिवासियों की जेब में जाए।

- **महिला संग्राहकों को उद्यमी बनाना-** चूंकि 80% से अधिक वनोपज संग्राहक महिलाएं हैं, इसलिए उन्हें 'वन धन सखी' के रूप में प्रशिक्षित कर सीधे वनों पर आधारित टिकाऊ व्यवसायों का मालिक बनाया जा रहा है।

कोंडागांव की अर्थव्यवस्था का केंद्र वन है। ग्रामीण परिवारों की आय का एक बड़ा हिस्सा वनोपज संग्रह से आता है। हालांकि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की आजीविका रणनीति में वन-आधारित गतिविधियों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिली है। अधिकांश स्वसहायता समूह उद्यम कृषि और गैर-वन क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, जबकि वन संसाधनों के मूल्य संवर्धन (जैसे महुआ से मूल्यवर्धित उत्पाद, लाख प्रसंस्करण, औषधीय पौधे) की अपार संभावनाओं का उपयोग नहीं किया गया है।

8. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन में बाधाएं-

8.1 भौगोलिक अलगाव और बैंकिंग पहुंच

कोंडागांव के अनेक गांव दुर्गम पहाड़ी और वन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां सड़क संपर्क सीमित है, विशेषकर मानसून के महीनों में। बैंक शाखाएं मुख्य रूप से ब्लॉक मुख्यालयों और कस्बों में केंद्रित हैं। ग्रामीण महिलाओं को ऋण लेने या बचत जमा करने के लिए 10-20 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जो समय और लागत दोनों की दृष्टि से भारी बोझ है। "बैंक सखी" मॉडल का विस्तार सीमित है, और जहां तक पहुंच है, वहां भी नकद उपलब्धता और डिजिटल लेनदेन में बाधाएं हैं।

8.2 सुरक्षा संबंधी बाधाएं और सामुदायिक संस्थाओं का कमजोर होना

बस्तर क्षेत्र में दशकों से नक्सलवादिओं की उपस्थिति रही है, जिसने सामुदायिक संस्थाओं के निर्माण की गति को प्रभावित किया है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों के प्रति अविश्वास व्याप्त है, और स्व सहायता समूह के रूप में संगठित होना कभी-कभी सुरक्षा जोखिम के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा बलों की गतिविधियों और प्रतिबंधों के कारण कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक बैठकों का आयोजन करना कठिन हो जाता है, जिससे स्व सहायता समूह की नियमितता प्रभावित होती है।

8.3 बाजार संपर्क की अत्यंत सीमित उपलब्धता

कोंडागांव में उत्पादित अधिकांश स्व सहायता समूह उत्पाद स्थानीय हाट-बाजारों में बेचे जाते हैं, जहां कीमतें कम होती हैं और मांग सीमित होती है। जिले में कोई बड़ा औद्योगिक या संगठित खुदरा केंद्र नहीं है। राज्य स्तरीय "सरस" आउटलेट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच के लिए परिवहन और डिजिटल साक्षरता दोनों की आवश्यकता होती है, जो अधिकांश स्व सहायता समूह के पास नहीं है। तेंदू पत्ता और महुआ जैसे वन उत्पादों के लिए सरकारी खरीद मूल्य (समर्थन मूल्य) तो है, लेकिन स्व सहायता समूह द्वारा स्वयं किया गया मूल्य संवर्धन (जैसे प्लेट निर्माण, महुआ लड्डू) बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं है।

8.4 भाषा, साक्षरता और प्रशिक्षण की गुणवत्ता

अधिकांश स्व सहायता समूह सदस्य हल्बी, भतरी, गोंडी या मुरिया भाषा बोलते हैं, जबकि प्रशिक्षण सामग्री और कार्यक्रम दस्तावेज मुख्य रूप से हिंदी में हैं। सीमित साक्षरता के कारण, वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना, ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची को समझना और बैंक फॉर्म भरना कठिन हो जाता है। "सामुदायिक संसाधन व्यक्ति" की संख्या अपर्याप्त है और उनका प्रशिक्षण भी अक्सर सतही होता है, जिससे स्व सहायता समूह को निरंतर सहायता प्रदान करना मुश्किल हो जाता है।

8.5 निधि की कमी और समयबद्धता

स्व सहायता समूह को ऋण की स्वीकृति और वितरण में देरी आम है। बैंकों द्वारा जोखिम मूल्यांकन में

सतर्कता, और स्व सहायता समूह के पास पर्याप्त ऋण इतिहास न होने के कारण, कई आवेदन लंबित रह जाते हैं। इसके अलावा, "सामुदायिक निवेश कोष" और "उद्यम पूंजी" जैसी पहलों का लाभ कोंडागांव जैसे दूरस्थ जिलों तक कम पहुंचता है।

9. कोंडागांव जिले के लिए एक भिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता

कोंडागांव जिले का अनुभव दर्शाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मानक मॉडल जो मुख्य रूप से संगठन निर्माण, बचत-ऋण और सामान्य उद्यम प्रशिक्षण पर केंद्रित है–जनजातीय, वन-निर्भर और दुर्गम क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहा है। यहां की आजीविका की तर्कशास्त्र मुख्यधारा से भिन्न है, वन संसाधन, सामुदायिक भूमि, पारंपरिक ज्ञान और मौसमी प्रवास इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं, जिन्हें कार्यक्रम की आजीविका रणनीति में एकीकृत करने की आवश्यकता है।

एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह है कि कोंडागांव में स्व सहायता समूह का सबसे बड़ा योगदान "आर्थिक" से अधिक "सामाजिक" है। इसने महिलाओं के लिए एक सुरक्षित सार्वजनिक स्थान बनाया है, सामूहिक सीखने को प्रोत्साहित किया है, और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने का मंच प्रदान किया है। लेकिन दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन के लिए, इन सामाजिक लाभों को ठोस आर्थिक अवसरों में बदलना आवश्यक है, और यहीं पर वर्तमान मॉडल विफल हो रहा है।

10. सुझाव

10.1 वन-आधारित आजीविका को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्यधारा में लाएं

कोंडागांव जिले में स्व सहायता समूह उद्यमों को वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन से जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, तेंदूपत्ता प्लेट निर्माण में गुणवत्ता मानकीकरण, ब्रांडिंग और सामूहिक विपणन को बढ़ावा देना, महुआ फूल से लड्डू, सिरप और अन्य उत्पादों का उत्पादन, लाख और इमली के मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए वन विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच समन्वय आवश्यक है, ताकि वन उपज के संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन में स्व सहायता समूह की भूमिका सुनिश्चित हो सके।

10.2 "बैंक सखी" और डिजिटल वित्तीय साक्षरता का विस्तार

दूरस्थ गांवों में बैंकिंग पहुंच को मजबूत करने के लिए, "बैंक सखी" की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उन्हें उचित मानदेय तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, मोबाइल बैंकिंग और UPI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय भाषा में डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

10.3 स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण और सामग्री

सभी प्रशिक्षण मॉड्यूल और वित्तीय रिकॉर्ड के नमूने हल्बी, भतरी और गोंडी में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। CRP की भर्ती स्थानीय समुदाय से की जानी चाहिए और उन्हें दीर्घकालिक, भुगतान-आधारित भूमिका दी जानी चाहिए, न कि केवल अल्पकालिक स्वयंसेवा।

10.4 सुरक्षा-संवेदनशील क्षेत्रों के लिए लचीला कार्यान्वयन मॉडल

जिन गांवों में सुरक्षा संबंधी बाधाएं हैं, वहां स्व सहायता समूह बैठकों को लचीले समय और स्थान पर आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सामुदायिक संस्थाओं के निर्माण में स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों और आदिवासी समुदाय के नेताओं को शामिल करना चाहिए, ताकि विश्वास का निर्माण हो सके।

10.5 बाजार संपर्क के लिए क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना

जिला मुख्यालय या ब्लॉक स्तर पर स्व सहायता समूह उत्पादों के लिए सामूहिक भंडारण और विपणन केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जहां से उत्पादों को जगदलपुर, रायपुर और अन्य शहरी बाजारों तक पहुंचाया जा सके। राज्य स्तरीय "सरस" आउटलेट के साथ समन्वय करके नियमित आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जानी चाहिए।

11. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि □□□□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□□□) में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन और महिला आजीविका संवर्धन के एक प्रभावी तंत्र के रूप में उभरा है।

- **मात्रात्मक उपलब्धियां-** जिले में मिशन ने व्यापक सामाजिक लामबंदी करते हुए हजारों गरीब परिवारों को स्व-सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तरीय संगठनों के त्रि-स्तरीय ढांचे से सफलतापूर्वक जोड़ा है। रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और सुदृढ़ बैंक लिंकेज के माध्यम से करोड़ों रुपये की वित्तीय पूंजी सीधे ग्रामीण महिलाओं के नियंत्रण में सौंपी गई है।
- **वास्तविक प्रभाव-** इस मिशन का सबसे गहरा प्रभाव जनजातीय महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में देखा गया है। महुआ, इमली, तिखुर प्रसंस्करण,सिलाई,किराना और लघु वनोपज आधारित गैर-कृषि गतिविधियों से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रति परिवार वार्षिक आय में वृध्दि होने से वे आर्थिक रूप से संबल होकर 'लखपति दीदी' बनने की ओर अग्रसर हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
- **कार्यान्वयन की बाधाएं-** इन सकारात्मक बदलावों के बावजूद, कोंडागांव जिले की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियां मिशन के मार्ग में बड़ी चुनौतियां खड़ी करती हैं। अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी, बैंकिंग बुनियादी ढांचे की भारी कमी, आधुनिक व्यावसायिक कौशलों का अभाव और सुदूर बाजारों तक सीधी पहुंच न होना आज भी मुख्य प्रशासनिक व ढांचागत बाधाएं हैं।

अंतिम निष्कर्ष- यद्यपि मिशन ने धरातल पर जनजातीय महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बदलने में उल्लेखनीय सफलता पाई है, तथापि इन भौगोलिक व तकनीकी बाधाओं को दूर करके तथा ई-कॉमर्स व बड़े बाजारों से सीधा संपर्क स्थापित करके ही इस मिशन के दीर्घकालिक एवं संवहनीय उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

12. संदर्भ

1. शासकीय नीतियां, संदर्शिकाएं एवं केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट

1. **ग्रामीण विकास मंत्रालय (2022)** – दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : प्रशासनिक और वित्तीय क्रियान्वयन संदर्शिका, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. **नीति आयोग (2020)** – आकांक्षी जिला कार्यक्रम : कोंडागांव जिले की सामाजिक-आर्थिक प्रगति रिपोर्ट, नीति आयोग, भारत सरकार।
3. **Ministry of Tribal Affairs (2021)** – Report of the Expert Committee on Tribal Livelihoods and Forest-Based Economy in Central India, Government of India.
4. **छत्तीसगढ़ शासन (2024)** – छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, रायपुर।

5. **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान)** – वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं पंचसूत्र क्रियान्वयन मार्गदर्शिका, ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर।
6. **TRIFED (2022)** – Pradhan Mantri Van Dhan Yojana: Operational Guidelines for Minor Forest Produce (MFP) Value Addition, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.
7. **Reserve Bank of India (2023)** – Report on Financial Inclusion and Digital Delivery Channels in Rural and Tribal Regions, RBI, Mumbai.
8. **NABARD (2022)** – Status of Microfinance in India and Bank Linkage Programme of SHGs, National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai.
9. **भारत सरकार (2011)** – जिला जनगणना पुस्तिका: कोण्डागांव , जनगणना संचालन निदेशालय, छत्तीसगढ़।
10. **संसदीय स्थायी समिति (2023)** – ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर समिति की रिपोर्ट: ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और रोजगार गारंटी योजनाओं की समीक्षा, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।

2. अकादमिक पुस्तकें और शोध ग्रंथ

11. **बर्मन, बी. के. रॉय (2018)** – दंडकारण्य की जनजातीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना, बस्तर प्रकाशन संस्थान।
12. **Singh, Katar (2018)** – Rural Development: Principles, Policies and Management, SAGE Publications, New Delhi.
13. **मिश्र, सुरेश (2019)** – छत्तीसगढ़ का भूगोल और जनजातीय संस्कृति, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रन्थ अकादमी, रायपुर।
14. **Deb, S. & Sahoo, K. (2021)** – Micro-finance, SHGs and Women Empowerment in Tribal India, Rawat Publications, Jaipur.
15. **Rath, Govinda Chandra (2020)** – Tribal Development in India: The Contemporary Debate, SAGE Publications.
16. **वर्मा, आर. पी. (2017)** – बस्तर के घड़वा शिल्प और जनजातीय लोक कला, कला प्रकाशन, वाराणसी।
17. **Joshi, Sandeep (2019)** – Financial Inclusion and Rural Development, Kurukshetra University Press.
18. **Pradhan, S. K. (2022)** – Livelihood Diversification and Tribal Economy: Dynamics of Central Indian Tribal Belt, Discovery Publishing House, New Delhi.
19. **शर्मा, राम प्रकाश (2016)** – छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ एवं उनकी आजीविका के साधन, वैभव प्रकाशन, रायपुर।
20. **Guha, Ramachandra (2014)** – Savaging the Civilized: Verrier Elwin, His Tribals, and India, University of Chicago Press (बस्तर और कोंडागांव के आदिवासियों के ऐतिहासिक संदर्भ हेतु)।

3. अंतर्राष्ट्रीय शोध और प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट

21. **3ie (International Initiative for Impact Evaluation) (2019)** – Impact Evaluation of the National Rural Livelihoods Project (NRLP) in India, Evaluation Report No. 128, New Delhi.
22. **World Bank (2021)** – India's National Rural Livelihoods Mission: Scaling Up Women's Economic Empowerment, World Bank Group, Washington D.C.

23. **UNDP India (2020)** – Localizing Sustainable Development Goals (SDGs) in Tribal Districts: A Case of Kondagaon and Bastar, United Nations Development Programme.
24. **IFPRI (International Food Policy Research Institute) (2022)** – Nutritional Outcomes of Women-led Self-Help Groups: Evidence from Central India, IFPRI Discussion Paper.
25. **MicroSave Consulting (2023)** – The Role of Business Correspondent (BC) Sakhis in Promoting Digital Financial Services in Chhattisgarh, MSC Report.
26. **Institute for Human Development (IHD) (2021)** – Employment, Migration and Livelihood Security in Rural Chhattisgarh, IHD Research Series, New Delhi.
27. **OXFAM India (2022)** – The Gender Wealth Gap and Women's Land Rights in Tribal Chhattisgarh, Oxfam Policy Paper.
28. **FAO (Food and Agriculture Organization) (2020)** – Sustainable Forest Management and Non-Timber Forest Products (NTFPs) in Tribal India, FAO Forestry Paper.
29. **PRADAN (2021)** – An Assessment of Non-Farm Livelihood Diversification under DAY-NRLM, Professional Assistance for Development Action, New Delhi.
30. **NCAER (2023)** – Evaluating the Central-State Funding Mechanism (60:40) in Centrally Sponsored Rural Schemes, National Council of Applied Economic Research.

4. शोध पत्रिकाएं एवं प्रतिष्ठित जर्नल लेख

31. **Economic and Political Weekly (EPW) (2021)** – "Institutional Constraints in Tribal Livelihoods: A Study of Minor Forest Produce in Bastar Region", Vol. 56, No. 14.
32. **Journal of Rural Development (JRD)** – "Impact of NRLM on Financial Inclusion and Savings Culture: Evidence from Aspirational Districts", Vol. 39, No. 2, 2020.
33. **कुरुक्षेत्र (Kurukshetra Journal) (2023)** – "महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण उद्यमिता: बिहान योजना की सफलता", ग्रामीण विकास मंत्रालय, अंक- मार्च 2023.
34. **योजना (Yojana Journal) (2022)** – "जनजातीय आजीविका और वन धन विकास केंद्र", प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, अंक- दिसंबर 2022.
35. **Indian Journal of Agricultural Economics** – "Livelihood Diversification among Tribal Households in Chhattisgarh: Determinants and Constraints", Vol. 76, No. 3, 2021.
36. **Journal of Tribal Studies** – "Socio-Cultural Dimensions of Women Empowerment in Kondagaon District", Vol. 28, 2022.
37. **International Journal of Rural Management** – "The Success of Bank Sakhis in Remote Tribal Hamlets of Central India", SAGE Journals, 2023.
38. **Chhattisgarh Journal of Science and Technology** – "Value Addition of Tamarind and Mahua by SHGs in Kondagaon: An Economic Analysis", Vol. 18, 2021.
39. **Journal of Gender Studies India** – "Breaking the Silence: Role of Gram Sangathans in Combating Domestic Violence and Alcoholism in Tribal Villages", Vol. 12, 2022.
40. **Development in Practice** – "The Paradox of Uniform Models in Diverse Realities: Evaluating Forest-Based Economy Neglect Under NRLM", Taylor & Francis, 2023.